निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :202/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रीमती रतन देवी पुत्री स्व॰ श्री गोविन्दा उर्फ गोविन्दराम पत्नी शंकर जाति खारवाल, निवासी ग्राम खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर, हाल निवासी कोलीवाडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. छीतर पुत्र श्री रामपाल जाति खारवाल, निवासी ग्राम खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रामधन पुत्र श्री रामपाल जाति खारवाल, निवासी ग्राम खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. महादेव पुत्र श्री रामपाल जाति खारवाल, निवासी ग्राम खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. कैलाश पुत्र श्री रामपाल जाति खारवाल, निवासी ग्राम खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. प्रभू पुत्र श्री रामपाल जाति खारवाल, निवासी ग्राम खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. तहसीलदार, सांगानेर, जिला जयपुर ।
7. उप पंजीयक सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 122/2021 ब उनवानी रतन देवी बनाम छीतर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री अमित बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हिमांशु श्रीमाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25.04.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 122/2021 ब उनवानी रतन देवी बनाम छीतर व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु श्रीमाल उपस्थित है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थिया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 111, 118, 136 एल आर एक्ट एवं धारा 88 188 का अप्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वर्तमान में प्रारम्भिक स्टेज पर है। प्रार्थिया व उसके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से कई बार कथन किया गया है कि प्रार्थिया का प्रकरण किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है । प्रार्थिया के प्रकरण बावत अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार के कथन कई बार प्रार्थिया व उसके अधिवक्ता को किये गये। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकतर न्यायालय में नहीं बैठ कर अपने ऑफिस में बैठ कर कोर्ट की कार्यवाही की जा रही हैं एवं प्रार्थिया व उसके अधिवक्ता की सुनवाई नहीं की जाकर अन्य पक्षकार को विशेष रूप से तवज्जों देकर सुनवाई की जाती है। प्रार्थिया व उसके अधिवक्ता को हमेशा उसका दावा खारिज किये जाने योग्य होने का कथन किया जाता है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता से तनहा अपने ऑफिस में वार्तालाप की जाती है, जबकि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही करने के लिए दोनों ही पक्षों को समान रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना एवं तत्पश्चात ही प्रार्थिया के प्रकरण में किसी प्रकार की कोई विचारधारा प्रकट किया जाना सम्भव है। जबकि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक बार प्रतिवादीगण का पक्ष लिया जाकर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का कथन किया जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों से प्रार्थिया को पूर्णतः विश्वास हो गया है कि प्रार्थिया के प्रकरण में विधिक रूप से सुनवाई की जाकर युक्ति युक्त आदेश पारित किये जाने के कोई आसार मात्र भी मौजूद नहीं है एवं प्रार्थिया के उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद लेश मात्र नहीं रही हैं, ऐसी परिस्थिति में प्रार्थिया के प्ररकण को अन्य किसी समानान्तर न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्याहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले में विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही हैं। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत किया जा चुका है । प्रकरण बहस हेतु नियत है, किन्तु प्रार्थिया बहस नही करना चाहती है और मनघढन्त आरोप लगा कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थिया द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बहस में नियत है। प्रार्थिया ने जो आरोप लगाये है, उनके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थिया ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD

501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थिया द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **25.04.2022** को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

25/04/22

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर